भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1545

दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ

ई-ग्राम स्वराज और ऑडिटऑनलाइन प्लेटफॉर्म

1545. डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जलपाईगुड़ी में ई-ग्राम स्वराज और ऑडिटऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के अंतर्गत ऑनलाइन पंचायत कार्यप्रणाली और रिकॉर्ड रख-रखाव संबंधी कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ख) क्या जलपाईगुड़ी में ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को डिजिटल शासन पद्धति और सार्वजनिक सेवा प्रदाय संबंधी कोई प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ई-ग्राम स्वराज और ऑडिटऑनलाइन जैसे एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं। ये एप्लिकेशन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले सहित देश भर की ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस जिले की ग्राम पंचायतें (जीपी) आयोजना, बजटन , लेखांकन और पंचायत गतिविधियों की निगरानी के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही हैं।

जलपाईगुड़ी की सभी 80 ग्राम पंचायतों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा, जिले की

सभी जीपी को ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर जोड़ा गया है, जिससे वे केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग अनुदान के तहत विक्रेताओं के साथ ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन कर सकेंगे।

इसी प्रकार, पंचायत खातों का पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से लेखापरीक्षण करने के लिए ऑडिटऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। लेखापरीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए, जिले की सभी ग्राम पंचायतों का लेखापरीक्षण पूरा हो चुका है और ऑडिटऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लेखापरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं। इन प्लेटफार्मों पर प्रगति की नियमित निगरानी राज्य सरकार के समन्वय से की जाती है ताकि प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

(ख) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताएं विकसित कर सकें और ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार, डिजिटल शासन पद्धति और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण एवं प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जलपाईगुड़ी जिले में इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के लिए 271 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

*****